**भारत सरकार**
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 4624**
दिनांक 20 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

## उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी सेवाएँ

**4624. श्री राजीव राय:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2024-26 के दौरान घोसी संसदीय क्षेत्र सहित मऊ जिले में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (पूर्व में आईसीडीएस) के अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केंद्र कार्यशील हैं;
(ख) उक्त अवधि के दौरान जिले में पूरक पोषण और स्कूल – पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ग) इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को कुल कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है और उक्त जिले में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;
(घ) क्या उक्त जिले में पोषण संबंधी परिणामों के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और
(ड.) घोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पोषण निगरानी और सेवा प्रदायगी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**
**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

**(क) और (ख):** मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यशील आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की जिलावार संख्या और वर्ष 2024-26 की अवधि

के दौरान उनमें पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या लिंक: https://www.poshantracker.in/statistics.पर उपलब्ध है:

**(ग)**: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को 1,79,387.84 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को एसएनए स्पर्श के तहत 90,505.32 लाख रुपये की मूल स्वीकृति जारी की गई है।

**(घ) और (ङ):** पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन को एक महत्वपूर्ण संचालन उपकरण के रूप में शुरू किया गया था जो परिभाषित संकेतकों पर सभी एडब्ल्यूसी, एडब्ल्यूडब्ल्यू और लाभार्थियों की निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। पोषण ट्रैकर के तहत प्रौद्योगिकी का उपयोग बच्चों में बौनापन, दुबलापन और कम वजन की व्याप्तता का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। इससे आंगनवाड़ी सेवाओं जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्रों का खुलना, बच्चों की दैनिक उपस्थिति, ईसीसीई गतिविधियां, बच्चों की वृद्धि की निगरानी, पका हुआ गर्म भोजन (एचसीएम)/घर ले जाने वाला राशन (टीएचआर - कच्चा राशन नहीं) प्रदान करना, वृद्धि मापन आदि के लिए लगभग तत्समय (रियल टाईम) डेटा संग्रह की सुविधा मिली है। यह एप्लिकेशन प्रमुख व्यवहारों और सेवाओं पर परामर्श वीडियो भी प्रदान करता है जो जन्म की तैयारी, बच्चे के जन्म, प्रसवोत्तर देखभाल, स्तनपान और पूरक आहार संबंधी संदेशों को प्रसारित करने में मदद करते हैं। पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के उपयोग के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए नियमित रूप से क्षेत्र स्तर के प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। पोषण ट्रैकर में एडब्ल्यूडब्ल्यू के लिए स्व-अध्ययन वीडियो भी शामिल हैं, जो डिजिटल मॉड्यूल के माध्यम से निरंतर क्षमता निर्माण और कार्यस्थल पर सीखने को सुगम बनाते हैं।

अंतिम लाभार्थी तक सेवा प्रदायगी की ट्रैकिंग के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन में घर ले जाने वाले राशन के वितरण के लिए चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस) विकसित की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल पोषण ट्रैकर में पंजीकृत इच्छित लाभार्थी को ही मिले।

सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 के तहत, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को निर्बाध रूप से घर ले जाने वाले राशन (टीएचआर) का वितरण सुनिश्चित करने के लिए पोषण ट्रैकर में नॉमिनी मॉड्यूल शुरू किया गया है। यदि किसी कारणवश पंजीकृत लाभार्थी (गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माता और किशोरी) एफआरएस के माध्यम से अपना टीएचआर प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र जाने में असमर्थ हैं, तो वह अपना टीएचआर प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित कर सकती

हैं। नामित व्यक्ति को केवल एक बार ई-केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। लेकिन लाभार्थी की ओर से टीएचआर प्राप्त करने के लिए हर बार चेहरे का मिलान किया जाएगा। नामित व्यक्ति का नाम जोड़ने के बाद भी, लाभार्थी आंगनवाड़ी केंद्र में टीएचआर प्राप्त कर सकता है यदि नामित व्यक्ति ने राशन पहले नहीं लिया है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तृतीय-पक्ष मूल्यांकन और प्रभाव आकलन, नीति आयोग द्वारा 2020 में और फिर 2025 में किए गए थे और उन्होंने देश में कुपोषण से निपटने के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की प्रासंगिकता को संतोषजनक पाया है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार नीति और आयोजना के लिए जिम्मेदार है तथा राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन दैनिक कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय लाभार्थियों को सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर संपर्क करके और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है।

******